माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
(मध्य प्रदेश विधनसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Set up by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / परीक्षा–1 / मई–जून 2025 / 325 भोपाल, दिनांक 11 / 04 / 2025

:: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक Exam-1/May-June 25/243 दिनांक 18 / 03 / 2025 के अनुसार परीक्षा सत्र **मई–जून 2025** के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में एवं प्रदेश बाहर कुल 176 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा कराई जाती है। प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों का भौगोलिक क्षेत्र राज्य के अंदर संभाग स्तर तक ही सीमित रहता है। साथ ही संभाग स्तर पर शासकीय कालेज भी उन विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में होते है। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी राष्टीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को मध्यप्रदेश राज्य के साथ साथ भारत वर्ष के अन्य 10 राज्यों में कुल 176 परीक्षा केन्द्रों पर एक ही समय पर परीक्षा केन्द्र स्थापित करने होते है। जिसके कारण परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथी एवं परीक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए परीक्षा कोन्द्रों से निश्चित समय अवधि में पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है।

वरिष्ठस्तर के निर्देशानुसार संबंद्ध अध्ययन संस्थाओं के आवेदन एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म भरने की अंतिम **तिथी** निम्नानुसार **निर्धारित की** जाती है :–

S. No.	Particulars	Date of Link Open (Exam Forms) by Associated Study Institutes
A	**Students enrolled in January 2025 Session and before.**	**Upto 25 April 2025**
B	**With Late Fee of Rs. 500/- Per Form**	**02 & 05 May 2025 (Only 02 days)**

शेष नियम एवं शर्ते पूर्व में परीक्षा सत्र **मई–जून 2025** के लिए जारी परीक्षा अधिसूचना क्रमांक Exam-1/25/243 दिनांक 18 / 03 / 2025 के अनुसार रहेंगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी आवश्यक रूप से उक्त तिथि में अपना परीक्षा फार्म भर लेवे।

o/c

(डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

क्रमांक / परीक्षा–1 / मई–जून 2025 / 326 भोपाल, दिनांक 11 / 04 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक कुलगुरू, कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग / समस्त परिसर प्रभारी भोपाल / नोएडा / खण्डवा / रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निदेशक, ए.एस.आई. को सूचनार्थ। कृपया संशोधित अधिसूचना से सभी संबंद्ध अध्ययन संस्थाओं को अवगत करायें।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक कुलसचिव, गोपनीय / परीक्षा / नामांकन / मूल्यांकन / उपाधि शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, एम.पी ऑनलाईन लिमिटेड को सूचनार्थ। कृपया समस्त पाठ्यक्रमों के नियमित एवं बैकलॉग विद्यार्थीयों के परीक्षा फार्म भरने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि में **लिंक ओपन** करे एवं इसकी सूचना संबंद्ध अध्ययन संस्थाओं के अधिकृत मेल पर प्रेषित किए जाने की व्यवस्था भी करें।
8. समस्त संचालक / प्रभारी, संबंद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव